

बौद्धिक सम्पदा अधिकार और पारम्परिक ज्ञान

कृष्ण रवि श्रीनिवास

योग मुद्राओं और इसके आसनों पर कॉपीराइट सम्बंधी दावों के बारे में अक्सर पढ़ने-सुनने को मिल जाता है। इसे प्रायः पारम्परिक ज्ञान के क्षेत्र में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की घुसपैठ के रूप में चिह्नित किया जाता है। क्या यह वार्कइंघुसपैठ है? अगर है तो क्या यह इतनी चिंताजनक भी है? ऐसे ही सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश करता आलेख...

कुछ विषय ऐसे होते हैं जो विवादास्पद न होते हुए भी विवाद के केंद्र में आ खड़े होते हैं। ताज़ा मामला योग सम्बंधी आसनों के कथित पेटेंट का है। यह विवाद न केवल पारम्परिक ज्ञान के क्षेत्र में बौद्धिक अधिकारों के दुरुपयोग के प्रति चिंता दर्शाता है, बल्कि इसे लेकर कई आंतियों का खुलासा भी होता है।

सच तो यह है कि अब तक योग के एक भी आसन के लिए किसी को भी पेटेंट नहीं दिया गया है, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें खूब सुर्खियां बनीं। इस सम्बंध में विभिन्न राजनीतिक दलों व योग गुरुओं के बयानों ने भ्रम बढ़ाने का ही काम किया। इस मुद्दे को मीडिया ने जिस तरह से पेश किया, उससे ऐसा आभास हुआ कि योग के आसनों का पेटेंट हो गया है और अब रायलटी चुकाए बगैर कोई इन आसनों को नहीं कर सकता। इसी प्रकार अब श्लोकों का भी पेटेंट लिया जा सकता है। कुल मिलाकर मीडिया ने यह माहौल बनाने की कोशिश की कि पश्चिम के लोग भारत के पारम्परिक ज्ञान का दुरुपयोग करने पर आमादा हैं। इससे पहले नीम और हल्दी के पेटेंट को लेकर भी इसी प्रकार के विवाद और भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है। आगे हम इसी विवाद के संदर्भ में कुछ मूल मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा का असली मकसद है कि काल्यनिक उड़ानों को परे रखकर हम काम की बातों की चिंता करें।

वैश्विक बाज़ार में योग

इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका में योग सम्बंधी सामग्री, उपकरणों और कुछ पाठ्यक्रमों के सम्बंध में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क दिए गए हैं। ये पेटेंट व कॉपीराइट

योग सम्बंधी किताबों, वीडियो और आसनों की मिलती-जुलती मुद्राओं के भी हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं लगाया जा सकता कि भारत के पारम्परिक ज्ञान पर पश्चिम के देशों ने डाका डाल दिया है। कहीं पर भी पारम्परिक योग के आसन करने पर कोई किसी से रायलटी की मांग नहीं कर सकता।

अमेरिका में योग के बढ़ते दायरे का सम्बंध व्यावसायिकता से ज्यादा है। वैश्विक बाज़ार में हर योग केंद्र व योग गुरु अपने को अलग दिखाना चाहता है (जैसे आयंगर योग, श्रीश्री योग इत्यादि)। इसलिए वे योग का सामान्य हिस्सा बने रहने की बजाय चाहते हैं कि उनके ‘योग’ की एक विशिष्ट ब्रांड इमेज बने जिससे उन्हें अलग पहचान मिल सके। ऐसे कई मान्यता प्राप्त केंद्र हैं जहां प्रशिक्षित शिक्षक अपने ‘विशिष्ट योग’ का प्रशिक्षण देते हैं। प्राचीन काल में भी योग की विभिन्न शाखाएं मिलती हैं, जैसे बिहारी योग। आज अंतर केवल यही आया है कि अपने विशिष्ट योग केंद्रों के प्रचार के लिए कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया जाने लगा है।

इस पूरे मामले में पैच यह है कि योग देशीय सीमाओं से परे जा चुका है। वह वैश्विक बन चुका है। ऐसे में विभिन्न योग गुरुओं को अपने योग की भिन्न-भिन्न विधाओं को एक-दूसरे से अलग भी दिखाना है और प्रामाणिकता के लिए मूल योग की जड़ों से जुड़ाव भी बताना है। ऐसी स्थिति में बौद्धिक सम्पदा अधिकार का प्रयोग बढ़ना स्वाभाविक है।

देखा जाए तो योग का एक चेहरा पारम्परिक है जो प्रामाणिक और प्राचीन ज्ञान को बढ़ावा देता नज़र आता है, तो दूसरा चेहरा उत्तर आधुनिक है जिसने उपभोक्ताओं की

उपयोगिता के अनुरूप अपने को ढाल रखा है। इस प्रकार योग के अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। मकसद बदलते ही योग का अर्थ भी बदल जाता है। इस प्रक्रिया में उपभोक्ता समाज की ज़रूरतों के मद्देनज़र योग की मार्केटिंग में बौद्धिक सम्पदा अधिकार एक अहम भूमिका निभाता है।

नवाचार और पेटेंट

रूस, थाईलैंड, कनाडा, चीन सहित कई देशों में योग चटाई और अन्य साधनों के पेटेंट के लिए आवेदन किए गए हैं। इससे साफ़ है कि योग में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनज़र अब एक ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता भी महसूस की जाने लगी है जो इसकी प्रैक्टिस को सुव्यवस्थित कर सके। चूंकि योग की शिक्षा विभिन्न वर्गों के लोगों को उनकी अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से दी जा रही है, इसलिए इसमें नवाचार की ज़रूरत से इंकार नहीं किया जा सकता। योग के कई उपकरणों व सामग्री को पेटेंट दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे हमारे इस पारम्परिक ज्ञान के दुरुपयोग व अंधाधुंध व्यावसायिक इस्तेमाल के द्वारा खुल गए हैं। हकीकत तो यह है कि योग के किसी भी आसन के लिए कोई पेटेंट नहीं दिया गया है। इसलिए योग उपकरणों व पाठ्यक्रमों को दिए गए पेटेंटों से भयभीत होने की कठई ज़रूरत नहीं है।

यहां असली सवाल यह है कि ये नए-नए साधन कैसे योग को और लोकप्रिय बना सकते हैं। यह मानना नादानी होगी कि हमें पारम्परिक ज्ञान में संशोधन करने या उसमें नवाचार लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नवाचार पेटेंट की आधारभूत पात्रता को पूरा करता है तो उसे पेटेंट देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बशर्ते वह योग की प्रैक्टिस में मदद करे। योग की प्राचीन व मूल कला को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक कि इस क्षेत्र में हुए छोटे-बड़े नवाचारों और पिछले कई सालों के दौरान प्रचलन में आई नई विधियों तथा विभिन्न योग गुरुओं व संस्थाओं द्वारा दिए गए योगदान का सर्वे व अध्ययन नहीं कर लिया

जाता। केवल शास्त्रों में लिखी गई बातों से ही योग की प्राचीन व मूल कला का निर्धारण नहीं किया जा सकता। योग के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसकी प्राचीन कला को जानना बेहद अहम है।

योग के क्षेत्र में नवाचारों को दिए गए पेटेंट से योग अपनाने वालों को आसानी हुई है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह सूत्रवाक्य अक्सर दोहराया जाता है। कई बार यह साबित भी हो चुका है कि कई आविष्कारों की प्रेरणा शक्ति उनका इस्तेमाल करने वाले लोग ही होते हैं। हालांकि अभी यह साफ़ नहीं हो पाया है कि योग सम्बंधी नवाचारों में उसके उपयोगकर्ताओं का कितना योगदान रहा है, लेकिन माना जा सकता है कि इनमें वे भी एक अहम प्रेरणा शक्ति रहे होंगे।

ये नए साधन अभी तो योग करने में मददगार साबित हो रहे हैं, लेकिन यह भी संभव है कि भविष्य में ये ही योग में बदल जाएं। ऐसे में उस समय योग की परम्परा में क्या बदलाव आएंगे, अभी यह भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। यहां यह भी पूछा जा सकता है कि क्या भारत में योग सम्बंधी सहायक प्रणालियां पहले से ही मौजूद थीं? अगर थीं तो उनका क्या हुआ? इस सम्बंध में अगर कोई अध्ययन किया जाए तो उस समय के योग सम्बंधी कई नवाचारों के बारे में पता चल सकेगा।

समझें कॉपीराइट को

योग पर कई पुस्तकों, सी.डी. और डी.वी.डी. को कॉपीराइट मिला हुआ है। इन्हें कॉपीराइट देने का मतलब यह है कि इन पुस्तकों व सीडी-डीवीडी के संरक्षण के लिए पेटेंट दिया गया है, न कि उनमें बताए गए आसनों को। फीस्ट पब्लिकेशंस इंकार्पोरेशन बनाम रुरल टेल सर्विस कंपनी के मामले में कहा गया था कि पुस्तक में वर्णित तथ्यों को कॉपीराइट नहीं दिया जा सकता, लेकिन उनका संग्रहण कॉपीराइट की पात्रता रखता है। यानी अगर किसी पुस्तक में किसी आसन का वर्णन किया गया है तो उसे व्यक्तिगत या सार्वजनिक तौर पर करना कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन उस पुस्तक की अनाधिकृत तौर पर

प्रतियां बनाना या उन्हें बनाकर बेचना कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन होगा। इसका मतलब यही है कि कॉपीराइट किसी विचार को व्यक्त करने के तरीकों का संरक्षण करता है, न कि उस विचार विशेष का।

यहीं पर एक दिलचर्स्प सवाल भी उठता है - अगर कुछ आसनों को चुनकर उन्हें विशेष क्रम में संयोजित किया जाए और उन्हें विशेष परिस्थितियों में कुछ श्वास कसरतों के साथ करना तय किया जाए तो क्या यह कॉपीराइट में आएगा? क्या कॉपीराइट होल्डर से लाइसेंस लिए बांगर इन्हें सिखाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा? इसे बिक्रम योग मामले के जरिए समझा जा सकता है।

बिक्रम योग प्रकरण

बिक्रम योग 26 योग मुद्राओं और दो श्वास कसरतों का ऐसा संयोजन है जो एक कक्ष में 105 फेरनहाइट डिग्री तापमान पर किया जाता है। बिक्रम योग के संस्थापक बिक्रम चौधरी ने इसके लिए कॉपीराइट हासिल किया है। उन्होंने इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही की भी चेतावनी दी। वर्ष 2002 में उन्होंने अपने ही दो पूर्व छात्रों किम श्रेरिबर व मोरिसन के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया। उनका आरोप था कि श्रेरिबर व मोरिसन ने योग नियम का पालन नहीं किया। बाद में यह मामला अदालत के बाहर सुलटा लिया गया। लेकिन इसके बाद कई अन्य योग स्टूडियो व योग केंद्रों को भी बिक्रम चौधरी की ओर से कानूनी नोटिस दिए गए।

अंततः योग प्रैक्टीशनर्स, योग स्टूडियो, संस्थानों और विधिक प्रोफेशनल्स ने चौधरी की धमकियों का सामना करने के लिए एक संगठन 'ओपन सोर्स योगा यूनिटी' (ओएसवाईयू) का गठन किया। जुलाई 2003 में उन्होंने बौद्धिक सम्पदा नियमों की उल्लंघन सम्बंधी धमकियों से राहत पाने के लिए चौधरी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। ओएसवाईयू के मुताबिक उसका मिशन योग को सार्वजनिक सम्पत्ति बनाए रखने की दिशा में प्रयास करना है ताकि उस पर किसी एक व्यक्ति या संस्था विशेष का अधिकार न हो। लेकिन अचानक मई 2005 में दोनों पक्षों ने अदालत के

बाहर एक समझौता कर लिया और उसके बाद ओएसवाईयू ने बिक्रम योग के कॉपीराइट की वैधता को चुनौती नहीं दी। उसका मिशन एक तरह से मजाक बनकर रह गया क्योंकि योग की सार्वजनिकता को बनाए रखने में उसने अपनी ओर से कुछ नहीं किया।

योग के सम्बंध में बौद्धिक संपदा अधिकार की महत्ता कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा श्री श्रीरविशंकर द्वारा एक इंटरव्यू में कही गई बातों से लगाया जा सकता है। पेटेंट के सम्बंध में उन्होंने कहा था, “हमने योग की कुछ विधाओं का कॉपीराइट इसलिए लिया क्योंकि अगर हम नहीं लेते तो दूसरे ले लेते। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारे शिक्षक वह नहीं पढ़ा पाते जिस पर हमने इतने सालों से काम किया है।”

इस प्रकार बचाव के लिए कॉपीराइट लिए जाने में कोई गलत बात नहीं है ताकि अन्य उस पर दावा कर उसका दुरुपयोग करना न शुरू कर दें। लेकिन इससे अगर ज्ञान के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, तो वह स्वीकार्य नहीं है। इसलिए भारत सरकार को कॉपीराइट पर एक नीति बनाकर देखना चाहिए कि कौन-से कॉपीराइट पारम्परिक ज्ञान के प्रवाह में बाधा बन रहे हैं और कौन-से कॉपीराइट उसके दुरुपयोग को रोकने के वास्ते लिए गए हैं। जब तक सरकार का नज़रिया ही साफ नहीं होगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है।

निष्कर्ष

पारम्परिक ज्ञान सम्बंधी पेटेंट की चुनौती का सामना करने के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) की ज़रूरत जताई जाती रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टीकेडीएल हर मामले में मदद कर सके। यह इस बात को तो साबित कर सकती है कि भारत में योग की जड़ें काफी पुरानी हैं। सदियों से यहां योग किया जाता रहा है, लेकिन बिक्रम चौधरी जैसे मामलों में यह पर्याप्त नहीं होगा। चौधरी ने यह दावा कभी नहीं किया कि उनकी विधि में जिन आसनों व श्वास कसरतों का इस्तेमाल किया गया है, उनका विकास उन्होंने खुद किया है। उनका तो

केवल यही दावा है कि उन्होंने 26 आसनों व दो श्वास कसरतों को एक विशेष क्रम में संयोजित कर उन्हें एक विशिष्ट तापमान में करने की प्रणाली विकसित की है। ऐसे में उनके इस दावे को चुनौती तभी दी जा सकती है जब टीकेडीएल यह सिद्ध कर दे कि ठीक-ठीक यही प्रणाली भारत में पहले भी प्रचलन में रही है और बिक्रम चौधरी ने उसकी केवल नकल की है।

यहां सबसे अहम सवाल यह है कि क्या भारत यह दावा कर सकता है कि योग पर केवल और केवल उसी



का कॉपीराइट है? हम केवल यह कह सकते हैं कि दुनिया में आज जो योग दिखाई दे रहा है, वह भारत की देन है। लेकिन यह दावा कतई नहीं कर सकते कि योग से सम्बंधित सारे ज्ञान और उसकी सभी पद्धतियों पर भी हमारा ही नियंत्रण होना चाहिए। योग आज वैशिक बन चुका है और इसलिए इसमें नवाचारों का आगमन कहीं भी, कभी भी हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि योग को लेकर बौद्धिक सम्पदा अधिकार और पेटेंट संबंधी भ्रम व गलत मान्यताओं को दूर कर असली मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। (*स्रोत फीचर्स*)